ायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

करण संख्या : 115 / 2014
ारीख दायर : 08.10.2014

अनवान

1. गोरधन पिता भूरालाल जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
2. राजू पिता हजारी जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
3. सुरेश पिता हजारी जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
4. ज्ञानमल पिता हजारी जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
5. मूलचन्द पिता हजारी जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
6. अशोक पिता हजारी जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
7. बदाम पत्नि हजारी जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
8. शंकर पिता बक्तावर जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
9. कैलाश पिता बक्तावर जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
10. नन्दलाल पिता बक्तावर जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर पिता सोहनलाल जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
2. सुरेश पिता सोहनलाल जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
3. केसरीमल पिता सोहनलाल जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
4. भैरूलाल पिता सोहनलाल जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
5. चान्दीबाई बेवा सोहनलाल जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
6. गुलाबबाई बेवा भूरा जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
7. लाला पिता छोगा जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
8. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माण्डलगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय खटीक (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 17.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद स्थित भूमि आराजी संख्या 2539 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 2540 रकबा 1 बी[illegible] 2539 रकबा 13 बिस्वा किता 3 रकबा 5 बीघा 8 पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आ[illegible] रास्ता कदमी समय से ग्राम बीगोद से चौधरियास जाने वाले रेकॉर्ड[illegible] 8 तक की आराजी संख्या 2541 की उत्तरी मे[illegible] 2542 की दक्षिण मेर उक्त दोनो आराजी के बीचोबीच [illegible] स्थित होकर उक्त रास्ते [illegible] उपयोग उपभोग प्रार्थी बरसो से करते चले आ रहे है। उक्त [illegible] के अलावा प्रार्थीगण की [illegible] पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। मौके पर उक्त र[illegible] नम्बर में विपक्षीगण द्वारा उ[illegible] रास्ते पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने के उद्देश्य से दिनांक 10.07.2014 को रास्ते को अवरूद्ध कर दिया व प्रार्थीगण को निकलने के लिए मना कर दिया। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने से महरूम हो रहे है। एवं फसल की देखरेख नही कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 2539, 2540, 3539/2539 पर पहुँचने लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 2541 व 2542 रास्ता दिलाये ने का आदेश प्रदान फरमावें।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय कल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। दिनांक 08.10.2014 विपक्षी संख्या 8 व 9 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। शेष विपक्षीगणों की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र पोरवाल द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 24.04.2015 को विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र पोरवाल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया गया। विपक्षी संख्या 1से 5 व 7 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि वर्णित आराजी नम्बर 2539, 2540, 3593/2539 पर आने जाने एवं सजबैल लाने ले जाने हेतु रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 2541 की उत्तरी मेर एवं विपक्षी संख्या 7 की आराजी नम्बर 2542 की दक्षिण मेर पर होना वर्णित किया है। जो कि गलत एवं मनगढन्त है। वास्तविक स्थिति यह है कि आराजी नम्बर 2541 की उत्तरी मेर व आराजी नम्बर 2542 की दक्षिणी मेर दोनो जुडी हुई न होकर एक दूसरे के विपरीत, दिशा में स्थित है। इसलिए उन दोनो भूमियो की उत्री व दक्षिणी मेर पर रास्ता होना सम्भव नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में दिशाए ही गलत लिखी है। प्रार्थनापत्र अस्पष्ट एवं मनगढन्त तथ्यो पर आधारित होने से खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा वर्णित रास्ता वास्तविकरूप से स्थित होना न तो सम्भव है एवं न ही उक्त रास्ता पिछले 100 वर्षो में मौके पर कभी विधमान रहा है। प्रार्थीगण तथाकथित रासते का उपयोग उपभोग अपनी जमीन पर पहूँचने हेतु कभी नही किया है। यह तथ्य गलत है कि विपक्षीगण ने रास्ते पर अतिक्रमण नाजायज कब्जा कर रखा है। आराजी नम्बर 2541 व 2542 विपक्षीगण की खातेदारी की आराजियात है तथा विपक्षीगण ने अपनी उक्त आराजियात के चौतरफा थोहर की बाड़ लगा रखी जो लगभग 35 वर्ष पुरानी है। उक्त आराजियात की मेर पर कोई रास्ता स्थित नही है। प्रार्थीगण को अपनी आराजियात आराजी नम्बर 3593/2539 पर पहुॅचने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। उक्त रास्ता ग्राम धैधरियास की तरफ से आकर विकास पंचायत बीगोद की आराजी नम्बर 2562 में स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते में होते हुये ग्राम विकास पंचायत बीगोद की आराजी संख्या 2558 की पश्चिमी मेर पर होकर आराजी नम्बर 2559 के दक्षिणी कोने पर स्थित रास्ते से होते हुये सीधे प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 3493/3539 पर पहुॅचता है। उक्त रास्ते को विपक्षीगण द्वारा जवाबदावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्से में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण पिछले 50 वर्षो से अपनी कृषि भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग कर रहा है। वैकलिपक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आकृषित नही होते है। उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होकर खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 26.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2019/3319 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद की आराजी संख्या 2539, 2540 व 3593/2539 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 2541 व 2542 में से 15 फीट चौड़े रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मौके व राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की आराजी में से 04 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 04 बिस्वा भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 665201 रूपये प्रति बीघा से 133040 रूपये बनती है। दुगुनी दर 266080 रूपये है।

दिनांक 14.09.2020 को पत्रावली पेश [illegible] उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस बताया गया कि तह[illegible] डी.एल.सी. दर अधिक है। तहसीलदार माण्डलगढ़ से [illegible]।

हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, जमाबन्दी सम्वत 20[illegible]78 दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 04 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 04 बिस्वा खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी की डी.एल.सी. दर 221740 रू. प्रति बीघा से 44348 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 88696 रू. बनती है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अत: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत इस शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 नांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(ii) (a) के अनुसरण में ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 2539, 2540 व 3593/2539 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण की आराजी संख्या ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद की आराजी संख्या 2541 की उत्तरी मेर मे से 02 बिस्वा व आराजी संख्या 2542 के दक्षिणी मेर में से 02 बिस्वा कुल 04 बिस्वा भूमि (15 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 221740 रू. प्रति बीघा से 44348 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 88696 रू. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर नैमु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 17.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner